

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 81/2024 राजस्व वाद

01. शंकर सिंह पुत्र घीसु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- बैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0) ----- वादी

बनाम

01. मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- बैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
02. लादु सिंह पुत्र नाथु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- बैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
03. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय सहकारी भुमि विकास शाखा माण्डल बैक तहसील करेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ----- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश सिंह तवरं
2. एकपक्षीय-
3. परोकार सरकार

-----अधिवक्ता वादी

----- प्र.सं. 1 से 3

-----प्रति.सं. 04

दिनांक- 06/05/2025

:: निर्णय ::

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद बैमाली पटवार हल्का बैमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1446 मे आराजी नम्बर 3133 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4038 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गये व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद बैमाली पटवार हल्का बैमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1446 मे आराजी नम्बर 3133 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4038 हैक्टर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

- खाता संख्या 161-

(1) खातेदार का नाम- शंकर सिंह पिता घीसु सिंह हिस्सा 1/2 सा0 देह खातेदार के नाम -

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1.	3133/1	0.6766 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

किता 01	0.6766 हैक्टर
---------	---------------

खातेदार का नाम- मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह 1/2 रहन सहकारी भुमि विकास बैंक खातेदार के

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
3133/2	0.6766 हैक्टर
किता 01	0.6766 हैक्टर

(3) शंकर सिंह पिता घीसु सिंह एवं मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह शामलाती रास्ते के रूप मे खातेदार का नाम-

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
3133/3	0.0506 हैक्टर, रास्ता
किता 01	0.0506 हैक्टर,

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 06/05/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

फोटो स्टेट प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 81/2024 राजस्व वाद

01. शंकर सिंह पुत्र घीसु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) वादी

बनाम

02. मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. लादु सिंह पुत्र नाथु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय सहकारी भुमि विकास शाखा माण्डल बैक तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर, एडवोकेट प्रतिवादीगण अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 28/04/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्च लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद बैमाली पटवार हल्का बैमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1446 मे आराजी नम्बर 3133 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4038 हैक्टर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

• खाता संख्या 1446-

(1) खातेदार का नाम- शंकर सिंह पिता घीसु सिंह हिस्सा 1/2 सा0 देह खातेदार के नाम -

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1.	3133/1	0.6766 हैक्टर
योग	किता 01	0.6766 हैक्टर

(2) खातेदार का नाम- मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह 1/2 रहन सहकारी भुमि विकास बैक खातेदार के नाम-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1.	3133/2	0.6766 हैक्टर
योग	किता 01	0.6766 हैक्टर

(3) शंकर सिंह पिता घीसु सिंह एवं मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह शामलाती रास्ते के रूप मे खातेदार का नाम-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1.	3133/3	0.0506 हैक्टर, रास्ता

फोटो स्टेट प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी

निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद की जायें।

ग	किता 01	0.0506 हैक्टर,
---	---------	----------------

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

५०११
(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

यह डिक्री आज दिनांक 06/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

५०११
उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

फोटो स्टेट प्रमाणित

५०११
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 81/2024 राजस्व वाद

01. शंकर सिंह पुत्र घीसु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- वैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0) — वादी

बनाम

01. मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- वैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)

02. लादु सिंह पुत्र नाथु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- वैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)

03. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय सहकारी भुमि विकास शाखा माण्डल वैक तहसील करेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद बाबत विभाजन आराजियात

उपरिस्थित :-

1. श्री मुकेश सिंह तवर
2. एकपक्षीय-
3. परोकार सरकार

— अधिवक्ता वादी

— प्र.सं. 1 से 3

— प्रति.सं. 04

दिनांक- 06/05/2025

:: निर्णय ::

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद वैमाली पटवार हल्का वैमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1446 मे आराजी नम्बर 3133 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4038 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गये व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मेने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है।
अतएव:

आदेश

सरहद वैमाली पटवार हल्का वैमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1446 मे आराजी नम्बर 3133 कुल किता 01 कुल रकबा 1.4038 हैक्टर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिर्कोर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

• खाता संख्या 161-

(1) खातेदार का नाम- शंकर सिंह पिता घीसु सिंह हिस्सा 1/2 सा0 देह खातेदार के नाम -

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1.	3133/1 फोटो स्टेट प्रमाणित	0.6766 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

किता 01	0.6766 हेक्टर
---------	---------------

खातेदार का नाम- मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह 1/2 रहन सहकारी भूमि विकास बैंक खातेदार के


आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
3133/2	0.6766 हेक्टर
किता 01	0.6766 हेक्टर


शकर सिंह पिता घोंसु सिंह एवं मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह शामिल रास्ते के रूप में खातेदार का नाम-

आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
3133/3	0.0506 हेक्टर, रास्ता
किता 01	0.0506 हेक्टर,

भाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिक्तेन अपना अपना करे।

यह निर्णय आज दिनांक 06/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (जोगेन्द्र सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

फोटो स्टेट प्रमाणित

 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पेशासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 81/2024 राजस्व वाद

01. शंकर सिंह पुत्र घीसु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- वैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0) — वादी

बनाम

02. मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- वैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
03. लादु सिंह पुत्र नाथु सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- वैमाली तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0)
04. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय सहकारी भुमि विकास शाखा माण्डल बैक तहसील करेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर, एडवोकेट प्रतिवादीगण अनुपस्थित की स्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 28/04/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये आदेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखों के लिये प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज हित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद वैमाली पटवार हल्का वैमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1446 मे आराजी नम्बर 3133 कुल किता 01 कुल रकबा 1.038 हैक्टर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार अधिकारों के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

खाता संख्या 1446-

(1) खातेदार का नाम- शंकर सिंह पिता घीसु सिंह हिस्सा 1/2 सा0 देह खातेदार के नाम -

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1.	3133/1	0.6766 हैक्टर
योग	किता 01	0.6766 हैक्टर

(2) खातेदार का नाम- मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह 1/2 रहन सहकारी भुमि विकास बैक खातेदार के नाम-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1.	3133/2	0.6766 हैक्टर
योग	किता 01	0.6766 हैक्टर

(3) शंकर सिंह पिता घीसु सिंह एवं मदन सिंह पुत्र नाथु सिंह शामलाती रास्ते के रूप मे खातेदार का नाम-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1.	3133/3	0.0506 हैक्टर, रास्ता

फोटो सेट प्रमाणिक

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला
भीलवाड़ा

किता 01

0.0506 हैक्टर,

तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रामित किया जावे।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। फरिक्तेन अपना अपना वहन करेगे।

487

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

डेकी आज दिनांक 06/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

487

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

फोटो स्टेट प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

करेड़ा